

कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा एवं पदेन उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

:: अधिसूचना ::

क्रमांक / 14717 / अ-82 / 20

जांजगीर दिनांक 14 / 09 / 17

चुंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा-19 की तहत यह घोषणा किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन :-

01. जिला	-	जांजगीर चांपा
02. तहसील	-	सक्ती
03. ग्राम/नगर	-	चमरवाह/प.ह.न. 09
04. भूमि का क्षेत्रफल	-	0.275 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
38 / 1	0.004
39 / 1	0.271
योग 02	0.275

- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है।
- उक्त भू-अर्जन से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा
आदेशानुसार

(इन्द्रजीत वर्मन)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी सक्ती

(डॉ. एस. भारतीदासन)
कलेक्टर

जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

एवं पदेन उपसचिव छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग